



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29032022-234593
CG-DL-E-29032022-234593

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1398]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 29, 2022/चैत्र 8, 1944

No. 1398]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 29, 2022/CHAITRA 8, 1944

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2022

का.आ. 1440(अ).—केंद्रीय सरकार, कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण और संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 38) (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अधिसूचना संख्या 93/2020 तारीख 31 दिसंबर, 2020 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) संख्यांक का.आ. 4805(अ) तारीख 31 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रकाशित तथा अधिसूचना सं. 10/2021 तारीख 27 फरवरी, 2021 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) संख्यांक का.आ. 966 (अ) तारीख 27 फरवरी, 2021 द्वारा प्रकाशित तथा अधिसूचना सं. 20/2021 तारीख 31 मार्च, 2021 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) संख्यांक का.आ. 1432(अ) तारीख 31 मार्च, 2021 द्वारा प्रकाशित तथा अधिसूचना सं. 74/2021 तारीख 25 जून, 2021 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) संख्यांक का.आ. 2580(अ) तारीख 25 जून, 2021 तथा अधिसूचना सं. 113/2021 तारीख 17 सितम्बर, 2021 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) संख्यांक का.आ. 3814(अ) तारीख 17 सितम्बर, 2021 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा प्रकाशित की गई थी, की अधिसूचनाओं में आंशिक संशोधन करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट करती है कि जहां विनिर्दिष्ट अधिनियम बेनामी संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 (1988 का 45) है (जिसे इसमें इसके पश्चात बेनामी अधिनियम कहा गया है), तथा उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1)

के खंड (क) में निर्दिष्ट किसी कार्रवाई की पूर्णता, बेनामी अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (3) के अधीन, किसी आदेश को पारित करने से संबंधित है,-

- (i) 30 जून, 2021 उस अवधि की अंतिम तारीख होगी, जिसके दौरान बेनामी अधिनियम में विनिर्दिष्ट या विहित या अधिसूचित समय सीमा ऐसी कार्रवाई को पूरा करने के लिए आती है; तथा
- (ii) 30 सितम्बर, 2022 अंतिम तारीख होगी जिस तक ऐसी कार्रवाई को पूरा करने की समय सीमा बढ़ाई जाएगी।

[अधिसूचना सं. 16/2022 /फा. सं. 370142/35/2020-टीपीएल-भाग-II]

उम्मे फरदीना आदिल, अवर सचिव,
कर नीति और विधायन

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) संख्यांक का.आ. 4805(अ) तारीख 31 दिसंबर, 2020 में प्रकाशित की गई थी और का.आ. 3814(अ), तारीख 17 सितम्बर, 2021 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।